भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 544

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना

544. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों के लिए बनाए गए घरों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू के तहत प्रतीक्षा सूची में वर्तमान में जिले-वार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इन्हें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए क्रियान्वित किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता करता है, ताकि देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमएवाई-यू का ब्यौरा इस प्रकार है:

i. इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
ii. मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।

iii. पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सभी आवासों में शौचालय, जलापूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

iv. यह मिशन महिला सदस्य के नाम पर अथवा संयुक्त नाम पर आवासों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

v. दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

vi. एक व्यापक और सशक्त एमआईएस प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों को डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न अभिलेखों जैसे सर्वेक्षण, परियोजना सूचना, लाभार्थी विवरण, निधि का उपयोग आदि को संग्रहीत करने के साथ-साथ वास्तविक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को सहजता से प्रबंधित करने में मदद करती है। बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर के तहत जमीनी स्तर पर सभी आवासों की वास्तविक प्रगति निगरानी करने के लिए जियो-टैग किया गया है।

vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आवासों के तीव्र एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन एवं हरित प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को अपनाने हेतु सुकर बनाने के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की है।

पीएमएवाई-यू के प्रचालन दिशानिर्देश

https://pmayurban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं

(ख) और (ग): पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत तमिलनाडु में लाभार्थियों को जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता तथा संस्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का जिलावार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ड.): पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 तक पीएमएवाई-यू के तहत 6.80 लाख आवासों को संस्वीकृत किया गया है। संस्वीकृत आवासों में से 6.63 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; जिनमें से 5.70 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। मंत्रालय के पास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए आवासों की संस्वीकृति के लिए तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****

दिनांक 25-07-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछले चार वर्षों (2020-24) के दौरान जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता सहित लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का जिला-वार ब्यौरा

क्र. सं.	ज़िले	आवासों की वास्तविक प्रगति (संख्या)			केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	
		संस्वीकृत	निर्माणाधीन आवास*	पूर्ण आवास*	जारी केंद्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता**
1	अरियालुर	554	436	1,107	(2.77)	33.65
2	चेंगलपट्टू	10,675	10,664	13,243	246.33	255.35
3	चेन्नई	29,328	33,090	43,492	561.31	619.11
4	कोयंबटूर	16,342	17,935	26,450	485.70	542.35
5	कुड्डालोर	3,614	3,506	5,832	0.21	202.28
6	धर्मपुरी	3,840	3,677	4,497	77.47	51.85
7	डिंडीगुल	5,385	4,234	4,750	58.85	105.45
8	इरोड	5,668	5,448	13,236	204.36	373.87
9	कल्लाकुरिची	1,323	1,204	1,663	17.12	38.95
10	कांचीपुरम	10,731	12,463	13,233	284.40	247.87
11	कन्नियाकुमारी	7,964	7,040	10,040	216.48	249.34
12	करूर	1,999	1,792	2,371	51.39	61.20
13	कृष्णागिरी	3,184	2,967	3,984	62.56	73.18
14	मदुरै	11,636	12,804	17,612	316.39	336.96
15	माइलादुत्रयी	579	524	644	(1.63)	23.67
16	नागपट्टिनम	1,629	1,621	949	28.88	45.63
17	नमक्कल	3,319	2,697	5,014	79.41	122.99
18	पेरम्बलूर	413	383	871	14.46	29.45
19	पुदुक्कोट्टई	1,440	3,260	5,186	89.95	94.85
20	रामनाथपुरम	1,321	1,166	2,201	18.14	46.73
21	रानीपेट	3,714	3,786	4,335	76.79	70.13
22	सलेम	5,183	4,492	14,343	198.61	322.08
23	शिवगंगा	1,273	1,983	2,556	46.94	53.93
24	तेनकासी	4,690	4,456	5,870	97.93	80.87
25	तंजावुर	2,910	3,676	4,351	65.53	138.93
26	नीलगिरी	1,958	1,938	2,418	41.29	89.63
27	थेनी	4,225	4,241	7,637	99.21	144.81
28	तिरुवल्लुर	24,736	24,792	27,815	574.53	528.76
29	थिरुवरुर	922	915	1,485	8.71	39.69
30	थूथुकुडी (तूतीकोरिन)	4,538	4,652	6,146	74.74	100.23
31	तिरुचिरापल्ली	5,802	5,067	7,873	99.21	173.57
32	तिरुनेलवेली	8,040	7,172	11,159	149.13	177.09
33	तिरुपथुर	1,296	1,242	2,545	25.43	67.41
34	तिरुपूर	3,793	4,576	7,712	171.05	235.03
35	तिरुवन्नामलाई	2,411	1,896	3,047	40.74	55.80
36	वेल्लोर	3,430	4,126	5,618	85.17	104.40
37	विल्लुपुरम	1,768	1,723	2,076	33.65	63.09
38	विरुधुनगर	3,162	2,987	4,277	55.57	94.28
कुल योग		**2,04,795**	**2,10,631**	**2,97,638**	**4,753.23**	**6,094.45**

*इसमें पिछले वर्षों में संस्वीकृत अवधि के दौरान निर्माणाधीन/पूर्ण हो चुके आवास शामिल हैं।

** इसमें पिछले वर्षों में जारी केंद्रीय सहायता में ले उपयोग की गई निधि भी शामिल है।